


हैं। अतः प्रकरण को लोक अदालत में  
रैफर किया जाता है। पक्षकारान  
दिनांक 22.6.15 को लोक अदालत  
के समक्ष उपस्थित रहें।

22-6-15 पञ्जाबी/राज लोक अदालत केम्प ठकेदीपुरी  
समक्षालीन पर पेश हुई। वादीगण उपरोक्त वादीगण  
अपना दावा विशे बताना चाहते थे।  
अपना दावा विशे बताना नहीं उठाया  
(समाप्त राज) ही जाती है।

अतः यह दावा विशे  
के आधार पर खारिज किया जाता  
है। पञ्जाबी के पक्ष समक्ष ही नमूने  
नकदमा वादत बनीस दाखिल दायर  
है।

  
सदस्य  
लोक अदालत  
वजीरपुर

  
सदस्य  
लोक अदालत  
वजीरपुर

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत  
वजीरपुर  
सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी